

भारत में सुशासन की अवधारणा एवं वर्तमान में चुनौतियां एवं उपलब्धियां

Dr. Jyoti Saxena

Assistant Professor Public Administration (Contract Based)
Govt. M.S. College Bikaner

सर- सुशासन तभी संभव है जब राष्ट्र, सरकार, समाज, संस्था व संविधान के प्रति हम सभी ईमानदार हो। सुशासन के लिए प्रशासन को चाक-चौबंद, त्वरित कार्य, मानवीय दृष्टिकोण तथा संवेदनशील होना चाहिए। सुशासन स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि शासन-प्रशासन द्वारा सुशासन के मूलभूत सिद्धांतों को अपनाया जाये यथा निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था, जवाबदेही, पारदर्शिता एवं खुलापन, सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा जनता का प्रतिनिधित्व, सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन, विधि का शासन, मानवाधिकार संरक्षण, परिवर्तन की स्वीकारोक्ति आदि। ये सभी कार्य प्रशासन द्वारा ईमानदारी से किये जाते हैं तो जनता में खुशहाली, मानसिक शांति व विश्वास की स्थापना होगी और एक सुरक्षा का भावनाजागृत होगी। अगर हम सुशासन की इन विशेषताओं को संक्षेप में व्यक्त करें तो कहेंगे कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं, कारोबार और रोजगार के अच्छे अवसर, कथनी और करनी में समानता, नागरिक सुरक्षा एवं संरक्षा आदि ही सुशासन हैं।

कुंजी शब्द: जवाबदेही, पारदर्शिता, खुलापन, सत्ता का विकेंद्रीकरण, जनता का प्रतिनिधित्व, भागीदारी, सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन, नैतिकता, विधि का शासन, सामाजिक समावेशन, मानवाधिकार संरक्षण, जी जी आई, डब्लू जी आई, प्रभावशीलता, नियंत्रण की गुणवत्ता

प्रस्तावना :-

सुशासन का अर्थ ऐसे शासन से है जो गुणवत्ता पूर्ण हो तथा एक अच्छी मूल्य व्यवस्था को धारण करता हो। जनता की उन सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है जो संबंधित विभागों में आती हैं अर्थात् जनता की आशाओं के अनुरूप सकारात्मक परिणाम दे। हम सभी जानते हैं चाहे प्राचीन काल में राजतंत्र रहे हो या वर्तमान की सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हो लेकिन प्रशासन की कमजोरी के कारण समस्याएं तब भी विद्यमान थीं और आज भी विद्यमान हैं। वर्तमान में प्रशासन की मुख्य समस्याएं हैं – काम में देरी, उत्तरदायित्व का अभाव, भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, भाई भतीजावाद, कार्यकुशलता में कमी, पारदर्शिता का अभाव, जनता की भागीदारी का अभाव, प्रशासन में नैतिकता का अभाव आदि। जाने-माने संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप ने एक सेमिनार में कहा है कि 'गवर्नमेंट' शब्द में शासन का नियंत्रण का भाव है तथा जनता को अधीन रखने की भावना झलकती है जबकि 'गवर्नेंस' शब्द का अर्थ ऐसे प्रशासन से है जिसमें नागरिक केंद्रित व्यवस्था है। इसमें जनहित की भावना हो, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की संकल्पना हो, ऐसी व्यवस्था ही सुराज या सुशासन है अर्थात् शासन कम तथा लोकहित ज्यादा है। इसके पीछे भावना है कि सरकार का शासन यानी लाइसेंस, परमिट, पुलिस राज कम से कम हो। अलेक्जेंडर पोपके अनुसार वही सरकार अच्छी है जिसका प्रशासन अच्छा हो। व्यक्तिवादी विचारक फ्रीमैन के अनुसार वही सरकार अच्छी है जो कम से कम शासन करे। जब स्वतंत्र भारत का संविधान बना तो गुड गवर्नेंस की संकल्पना प्रचलित नहीं हुई थी हालांकि संविधान के अनुच्छेद 37 में जरूर गवर्नमेंट से जुड़े सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किये जा सकते लेकिन सरकार को अच्छे शासन के लिए अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित नीति निदेशक तत्वों को लागू करना चाहिए। कहा गया कि अंग्रेजों की औपनिवेशिक शासन-व्यवस्था का सांचा –ढांचा ज्यों का त्यों चल रहा है। केवल शासक बदल गए हैं, आम आदमी प्रजा ही बना रहा। लोकतंत्र में आम आदमी मालिक होता है और शासन तंत्र का हर व्यक्ति सेवक। मगर सांसदविधायक की बात छोड़िए, अदना सा बाबू और कॉन्स्टेबल खुद को शासक समझता है। पद्मा विभूषण से सम्मानित डॉ सुभाष कश्यप ने एक भाषण में कहा कि स्वतंत्रता व लोकतंत्र कोमल पौधे की तरह है। इन्हें सुशासन के जल से न सींचा जाने जाए तो वे बेकार हो जाते हैं।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की जयंती के उपलक्ष में 25 दिसंबर को हर साल गुड गवर्नेंस को समर्पित है। गुड गवर्नेंस दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2014 से की गई। 1980 के दशक के शुरुआत में वैश्विक आर्थिक एकीकरण

की शुरुआत हुई और इसके कारण विश्व समुदाय का एक भाग हाशिए पर आ गया। सुशासन की शुरुआत उप सहारा अफ्रीकी देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के संदर्भ में विश्व बैंक के दस्तावेजों से हुई अर्थात् विश्व बैंक के द्वारा जो आर्थिक सहायता इन देशों को प्रदान की गई तथा इन देशों को इस सहायता से लाभ को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विश्व बैंक ने सुशासन की अवधारणा का पक्ष लिया।

विश्व बैंक के अनुसार दी गई आर्थिक सहायता इन देशों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित प्रयोग करना था। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण विकसित राष्ट्रों का तो विकास तेजी से होने लगा लेकिन विकासशील एवं अविकसित राष्ट्रों में यह प्रक्रिया कुछ धीमी थी। अतः नव उदारवादी राज्यों ने शासन एवं सुशासन की अवधारणाओं को क्रियान्वित किया। साथ ही यह भी तर्क दिया जाने लगा कि विकसित राष्ट्रों की लोकतंत्रात्मक सरकारों को वैधता प्राप्त है और यही वैधता सुशासन की प्रभावशीलता की सूचक है। शासन को जहां प्रक्रिया के रूप में माना जाता है वहां सुशासन एक नैतिक अवधारणा है। इस प्रकार सुशासन ने शासन में कुछ गुणात्मक आयाम जोड़े हैं जैसे उत्तरदेयता, राजनीतिक स्थिरता, सरकार की प्रभावशीलता, नियामक व गुणवत्तापूर्ण शासन, विधि का शासन, न्यायालयों की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण आदि। विश्व बैंक व काउंसिल ऑफ यूरोप द्वारा सुशासन के लिए निम्न आवश्यकताएं बताई हैं –

स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था :-

लोकतंत्र के साथ सुशासन की भी अनिवार्य शर्त है कि प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ राजनैतिक व्यवस्था भी सुदृढ़ हो। इसके लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव व्यवस्थाओं की आवश्यकता है यह भी आवश्यक है कि चुनावों में धन का बोल-बाला न हो तथा चुनाव आम आदमी की पहुँच में हो।

सरकारी संस्थान की जवाबदेही, पारदर्शिता एवं खुलापन :-

सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही, पारदर्शिता एवं खुलापन, सुशासन के लिए यह आवश्यक है। इसका अर्थ है कि मीडिया पर अनावश्यक का नियंत्रण ना हो और सभी आवश्यक सूचनाएं जनता को सुलभ हो सके। इसको कार्य रूप में परिणित करने के लिए भारत में कई कदम उठाए गए। जनता को सूचना का अधिकार (राइट टू इनफार्मेशन) प्रदान किया गया। 2005 में भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और वह था आरटीआई अधिनियम जिससे कि नागरिकों को जो सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं वे सरकार से प्राप्त कर सकें। इससे सरकार जनता की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह भी बनी रहेगी। ई गवर्नेंस सुशासन की प्राप्ति की दिशा में एक ओर अच्छी एवं सकारात्मक पहल है। इसके द्वारा इस संचार प्रौद्योगिकी के युग में बेहतर कार्यक्रम एवं सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं और दुनिया भर में होने वाले सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों के नए अवसर उपलब्ध होते हैं।

सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा प्रशासन में जनता का प्रतिनिधित्व व भागीदारी :-

सुशासन के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। यदि सत्ता का विकेंद्रीकरण न हो तो सत्ता कुछ हीव्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है तथा निरंकुशता व भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना भी बनी रहती है। साथ ही सुशासन के लिए आवश्यक है कि लोग अपनी उचित मांग जनप्रतिनिधियों के पास या संबंधित संस्थाओं के पास पहुंचा सके। निम्न व पिछड़े वर्ग के लोग, महिलाएं व अल्पसंख्यक अपनी आवाज को बिना किसी दबाव के उठा सकें। तथा सत्ता के निर्णयन की क्षमता आवश्यकतानुसार सत्ता के विभिन्न स्तरों पर विकेंद्रित हो।

सामाजिक – आर्थिक सेवा की समयबद्ध उपलब्धता:-

सुशासन के लिए आवश्यक है कि सामाजिक आर्थिक सेवा की समयबद्ध उपलब्धता रहे। सरकारी योजनाओं व सेवाएं व्यवस्थित तरीके से पूर्ण हो। बड़ी योजनाएं चरणबद्ध तरीके से पूर्ण हो तथा बिना किसी पक्षपात के हर वर्ग के लोगों को इनका लाभ मिले।

कार्य कुशलता, मितव्ययिता एवं सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन:-

सुशासन के लिए आवश्यक है कि शासन एवं प्रशासन के कार्यों को पूर्ण कार्यकुशलता एवं मितव्ययिता के साथ किया जावे। शासन के कार्यों को बेहतर तरीके से सम्पादित करने के लिए सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन लागू हो।

प्रशासन में नैतिकता का समावेश:-

शासन एवं प्रशासन के कार्यों को पूर्ण ईमानदारी एवं नैतिकता के साथ इस तरह सम्पादित किया जावे कि सभी वर्गों को लाभ मिले। जनता के हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाये तथा उन्हें पूर्ण ईमानदारी एवं नैतिकता के साथ लागू किया जाये।

वंचित वर्गों का संवर्धन :-

सुशासन के लिए यह आवश्यक है कि उच्च आय वर्ग एवं शिक्षित वर्ग से कर वसूल करे। वंचित वर्ग की पहचान कर उनके संवर्धन के लिए कार्य करें। सुशासन के लिए यह आवश्यक है कि सरकार वंचित वर्ग के उत्थान के लिए योजनायें बनायें तथा यह सुनिश्चित करें कि इन योजनाओं का लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचे।

पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय विकास (प्रकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग) एवं दीर्घकालीन सोच:-

सुशासन के लिए यह आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकार तथा प्रशासन द्वारा समुचित कदम उठाए जावे जिससे कि पर्यावरण की रक्षा की जा सके। शहरी विस्तार एवं विकास सम्बंधित कार्यों को सम्पादित करते समय दीर्घकालीन सोच रखकर कार्य करे।

विधि का शासन:-

विधि का शासन अर्थ है कि कानून के समक्ष सब समान है। कानून के आगे कोई छोटा बड़ा नहीं है। कानून के आगे सभी समान है। समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाना चाहिए। समाज के सभी वर्गों के लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा की जाए।

समानता, सामाजिक समावेशन एवं मानवाधिकार संरक्षण:-

सुशासन द्वारा एक समता मूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। सुशासन द्वारा व्यक्ति अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकता है और उसे उत्कृष्ट भी बना सकता है। सरकार को अपनी नीतियां इस तरह से बनानी चाहिए कि समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य स्थापित हो। सरकार को मानवाधिकार संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

क्षमता, योग्यता एवं प्रभावशालिता:-

शासन द्वारा विभिन्न संस्थानों को अपने नागरिकों की न्याय संगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होना चाहिए तथा राज्य के संसाधनों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाए ताकि अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सके। शासन अपने कार्य एवं योग्यता से प्रभावशाली हो।

नवीनता एवं परिवर्तन की स्वीकारोक्ति:-

नवीनता एवं परिवर्तन की स्वीकारोक्ति सुशासन का मुख्य आधार है। देश में होने वाले नवीन एवं वैज्ञानिक परिवर्तनों को स्वीकार करे तथा उनका वैज्ञानिक विश्लेषण कर तार्किक आधार पर लागू करे।

अध्ययन के उद्देश्य (डमजीवकवसवहल):-

इस अध्ययन का उद्देश्य यह है कि सुशासन की स्थापना के लिए हमें इसके सिद्धांतों को राजनैतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व द्वारा लागू किया जाना चाहिए। इस अध्ययन में सुशासन की विभिन्न विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। सुशासन की विशेषताओं के आधार पर यहाँ के राज्यों का कार्मिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित सूचकांक (ळळ) द्वारा किये गए वर्गीकरण का विश्लेषण किया गया है। इसी प्रकार विश्व बैंक द्वारा जारी सर्वे के आधार पर किये गए वर्गीकरण की व्याख्या की गई है। इस अध्ययन में भारत में सुशासन के लिए किये गए सर्वे के आधार पर मूल्यांकन किया गया है तथा परिणामों को भारत औसत मध्य तथा कोई वर्ग रीति के आधार पर परीक्षण किया गया है।

साहित्य की समीक्षा (ळळपमू व ष्पजमतंजनतम):-

सुरेन्द्र मुन्शी, ब्रिज पॉल अब्राहम तथा सोम चौधुरी द्वारा लिखित पुस्तक ष्पजमतंजनतम ज्व षववक षववक षववक 1 में सुशासन के लिए राज्य की भूमिका का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुस्तक में नागरिक समाज तथा प्रजातंत्र से सम्बंधित विभिन्न विषयों को भी विस्तार से स्पष्ट किया गया है। जी एन वाजपेई द्वारा लिखित पुस्तक ष्पजमतंजनतम 2 में कॉर्पोरेट गवर्नेन्स का विस्तार से वर्णन किया है इस पुस्तक में विभिन्न विषयों को चार्टर्स के माध्यम से विस्तार से व्याख्या की गई है। विनोद राय द्वारा लिखित पुस्तक ष्पजमतंजनतम 3 में सुशासन के लिए धारणीय आर्थिक विकास ष्पजमतंजनतम षववक षववक षववक 4 में सुशासन के लिए भ्रष्टाचार रहित लोक सेवओं की आवश्यकता पर जोर दिया है तथा सुशासन के लिए सुझाव प्रस्तुत किये हैं। बी सी स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक ष्पजमतंजनतम 5 में विकसित एवं विकासशील देशों में सुशासन की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। वेनुनंदन एताकुला द्वारा लिखित पुस्तक ष्पजमतंजनतम षववक षववक षववक 3 में सुशासन के लिए धारणीय आर्थिक विकास ष्पजमतंजनतम षववक षववक षववक 4 में सुशासन के लिए भ्रष्टाचार रहित लोक सेवओं की आवश्यकता पर जोर दिया है तथा सुशासन के लिए सुझाव प्रस्तुत किये हैं। बी सी स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक ष्पजमतंजनतम 5 में विकसित एवं विकासशील देशों में सुशासन की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। वेनुनंदन एताकुला द्वारा लिखित पुस्तक ष्पजमतंजनतम षववक षववक षववक 3 में सुशासन के लिए धारणीय आर्थिक विकास ष्पजमतंजनतम षववक षववक षववक 4 में सुशासन के लिए भ्रष्टाचार रहित लोक सेवओं की आवश्यकता पर जोर दिया है तथा सुशासन के लिए सुझाव प्रस्तुत किये हैं। बी सी स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक ष्पजमतंजनतम 5 में विकसित एवं विकासशील देशों में सुशासन की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है।

1 में सुशासन के विभिन्न मुद्दों एवं व्यूह रचना पर चर्चा की गई है। इस पुस्तक में लोक सेवाओं के संपादन में आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से व्याख्या की गई है तथा लोक सेवाओं को प्रभावशाली तरीके से निष्पादन से सम्बंधित विभिन्न आयामों का वर्णन किया गया है।

परिकल्पना. (श्लचवजीमेपे):-

यह अध्ययन इस परिकल्पना पर आधारित है कि :

भारत में सुशासन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था, वंचित वर्गों का संवर्धन, सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा विधि का शासन विद्यमान नहीं है।

- भारत में सुशासन स्थापित करने के लिए सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही, पारदर्शिता एवं खुलापन, सामाजिक आर्थिक सेवा की समयबद्ध उपलब्धता, प्रशासन में नैतिकता का समावेश विद्यमान नहीं है।
- भारत में सुशासन स्थापित करने के लिए कार्य कुशलता, मितव्ययिता एवं सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन, प्रशासन में नैतिकता, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता विद्यमान नहीं है।
- भारत में सुशासन स्थापित करने के लिए समानता, सामाजिक समावेशन, मानवाधिकार संरक्षण, क्षमता, योग्यता, प्रभावशालिता, नवीनता एवं परिवर्तन की स्वीकारोक्ति विद्यमान नहीं है।

अध्ययन पद्धति (डमजीवकवसवहल):-

प्रस्तुत अध्ययन में प्रश्नावली के आधार पर प्रारंभिक समंको को एकत्रित किये गये है। इसके अंतर्गत यादृच्छिक आधार पर 50 व्यक्तियों से प्रश्नावली के आधार पर प्रारंभिक समंक एकत्रित किये गये। प्रत्येक प्रश्न में 10 अंकों के भार में से प्राप्तांक दिए गए। परिकल्पना परीक्षण के लिए काई भारित औसत मध्य तथा χ^2 (काई वर्ग परीक्षण) का प्रयोग किया गया।

परिकल्पना. परीक्षण (ज्मेजपदह व श्लचवजीमेपे):-

उपरोक्त परिकल्पना परीक्षण करने के लिए प्रश्नावली के आधार पर 50 व्यक्तियों से 10 अंक के भारित माध्य के आधार पर जाँच की गई जिसके परिणाम निम्नानुसार है :-

प्रश्नावली	प्रतिदर्शों की संख्या	औसत प्राप्तांक	भारित प्राप्तांक
क्या भारत में सुशासन करने के लिए स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था, वंचित वर्गों का संवर्धन, सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा विधि का शासन विद्यमान नहीं है।	50	8	400
क्या भारत में सुशासन करने के लिए सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही, पारदर्शिता एवं खुलापन, सामाजिक/आर्थिक सेवा की समयबद्ध उपलब्धता, प्रशासन में नैतिकता का समावेश विद्यमान नहीं है?	50	3	150
क्या भारत में सुशासन स्थापित करने के लिए कार्य कुशलता, मितव्ययिता एवं सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन, प्रशासन में नैतिकता, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता विद्यमान नहीं है?	50	5	250
क्या भारत में सुशासन स्थापित करने के लिए समानता, सामाजिक समावेश, मानवाधिकार संरक्षण, क्षमता, योग्यता, प्रभावशीलता, नवीनता एवं परिवर्तन की स्वीकारोक्ति विद्यमान नहीं है?	50	6	300
कुल योग	200	22	1100
औसत प्राप्तांक		5.5	

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत में सुशासन के लिए औसत रूप से व्यवस्थाएं विद्यमान है। भारत में स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था तथा विधि का शासन के लिए उच्च कोटि की व्यवस्थाएं विद्यमान है। सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही, पारदर्शिता एवं खुलापन, सामाजिक /आर्थिक सेवा की समयबद्ध उपलब्धता, प्रशासन में नैतिकता का समावेश के सम्बन्ध में व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं है तथा सुशासन के लिए व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन, प्रभावशीलता, नवीनता एवं परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के सम्बन्ध में व्यवस्थाएं सामान्य रूप से विद्यमान है। भारत में शासन दृष्टिगत सुशासन की विभिन्न व्यवस्थाओं में अंतर विद्यमान है। औसत प्राप्तांक की सार्थकता का परीक्षण करने के लिए χ^2 (काई वर्ग परीक्षण) का प्रयोग किया गया जिसके परिणाम निम्नानुसार है -

वास्तविक समंक (d)	प्रत्यासित समंक (m)	(d-m)	(d-m) ²	(d-m) ³
400	275	125	15625	56.81
150	275	-125	15625	56.81
250	275	-25	625	2.27
300	275	25	625	2.27
बसबनसंजमक टंसनम वीबैपुंनंतम ,Σ				118.16

प्रशासनिक व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में 5 : सार्थकता स्तर पर 3 स्वतंत्रता संख्या के लिए χ^2 का सारिणी मूल्य 0.352 है तथा परिगणित मूल्य 118.16 है। परिगणित मूल्य सारिणी मूल्य की तुलना में बहुत अधिक है जो स्पष्ट करता है कि सुशासन की विभिन्न व्यवस्थाओं के मध्य सार्थक अंतर विद्यमान है। भारत में संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाएं, सूचना का अधिकार, ई गवर्नेन्स आदि विद्यमान हैं लेकिन सरकारी संस्थानों की जवाबदेही, पारदर्शिता एवं खुलापन, सामाजिक-आर्थिक सेवा की समयबद्ध उपलब्धता, प्रशासन में नैतिकता का समावेश के सम्बन्ध में व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं हैं। भारत में सुशासन स्थापित करने के लिए इन व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है।

भारतीय परिदृश्य

सुशासन सूचकांक के अनुसार राज्यों की श्रेणी

क्र. सं.	आधार	बड़ी श्रेणी के राज्य	पहाड़ी पूर्वी राज्य	केन्द्र शासित प्रदेश
1	नागरिक केन्द्रित सुशासन	पश्चिमी बंगाल	हिमाचल	चंडीगढ़
2	सार्वजनिक बुनियादी ढांचा	छत्तीसगढ़	मेघालय	दमन एवं दीव
3	आर्थिक सुशासन	कर्नाटक	उत्तराखंड	दिल्ली
4	समाज कल्याण एवं विकास क्षेत्र	छत्तीसगढ़	मेघालय	दमन एवं दीव
5	पर्यावरण	पश्चिमी बंगाल	हिमाचल प्रदेश	चंडीगढ़
6	सार्वजनिक स्वास्थ्य	केरल	मणिपुर	पाण्डिचेरी
7	न्यायिक एवं जन सुरक्षा क्षेत्र	तमिलनाडु	हिमाचल प्रदेश	पाण्डिचेरी
8	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	मध्य प्रदेश	मिजोरम	दमन एवं दीव
9	वाणिज्य एवं उद्योग	झारखण्ड	उत्तराखंड	दिल्ली
10	मानव संसाधन विकास	गोवा	हिमाचल प्रदेश	पाण्डिचेरी
11	सभी मापदंडों के आधार पर	तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक	हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा	पाण्डिचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली

भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी सुशासन सूचकांक (जीजीआई) में राज्यों श्रेणी प्रदान की गई। यह सर्वे 25 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा किया गया है। सुशासन सूचकांक में राज्यों को 10 महत्वपूर्ण संकेतको आधार पर श्रेणी प्रदान की गई। राज्यों को भी तीन श्रेणियों में बांटा गया है। बड़ी श्रेणी के राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु, हरियाणा, उड़ीसा, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, महाराष्ट्र सम्मिलित है। पहाड़ी व पूर्वी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखण्ड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश सम्मिलित है। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में चंडीगढ़, दमन दीव व दादर नगर हवेली, दिल्ली, पाण्डिचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख सम्मिलित है।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य:-

1996 से 2020 तक के आंकड़ों के आधार पर विश्व बैंक द्वारा विश्वस्तरीय सुशासन मापक (वतसकूपकम ळवअमतदंदबम प्दकपबंजवत दृळ्प) जारी किया गया। ळ्प में विश्व बैंक द्वारा 215 देशों को 6 सुशासन के आधारों पर रैंकिंग दी गई है जिसमें राजनीतिक स्थिरता, आतंकवाद पर नियंत्रण, सरकार की प्रभावशीलता एवं नियंत्रण की गुणवत्ता, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, जनता की आवाज एवं उत्तरदेयता, कानून का शासन सम्मिलित है। उपरोक्त 6 आधारों पर 215 देशों को दी गई रैंकिंग निम्नानुसार है-

विश्व बैंक द्वारा दिए गए विश्वस्तरीय सुशासन मापक (ळ्प)

क्र.सं.	देश का नाम	विश्व में स्थान	स्कोर
---------	------------	-----------------	-------

1	चेक गणराज्य	1	69.36
2	आयरलैंड	2	68.84
3	स्लोवेनिया	3	68.12
4	एस्टोनिया	4	68.02
5	स्लोवाकिया	5	66.65
6	जर्मनी	6	66.57
7	ब्रिटेन	26	59.58
8	चीन	38	56.97
9	फ्रांस	41	56.72
10	जापान	51	55.45
11	रूस	55	55.12
12	अमेरिका	73	52.60.
13	भारत	79	52.41
14	पाकिस्तान	151	40.19

निष्कर्ष:-

अतः सुशासन की महत्वपूर्ण शर्त है दायित्व लेना और उसका ईमानदारी से निर्वहन करना लेकिन अधिकांश सभी राष्ट्रों में ऐसा होता नहीं है। पहली बात तो सरकारें ठीक ढंग से उत्तरदायित्व लेती नहीं है और लेती भी है तो ईमानदारी से पालन नहीं करती है और यही वास्तविकता है। सुशासन समग्र प्रयास से प्राप्त होता है। यह एकांगी कभी भी नहीं हो सकता है। सुशासन के लिए प्रशासन को चाक-चौबंद, त्वरित कार्य, मानवीय दृष्टिकोण तथा संवेदनशील होना चाहिए। जब किसी राज्य में सुशासन होता है तो वहां की खुशहाली को अनेक मापदंडों पर आंका जा सकता है जैसे- वहां के लोगों को सार्वजनिक सुविधाएं –सड़के, अस्पताल, बस अड्डे, सार्वजनिक संचार साधन बस ट्रेन, बिजली व पानी का प्रबंधन, साफ-सफाई कचरा प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, महिला सुरक्षा कितनी नियोजित व द्रुत है। वहां की शिक्षण संस्थाएं व स्वास्थ्य सेवाएं बेहतरीन हैं, शासन मानवीय संवेदना से परिपूर्ण एवं विश्वस्तरीय है। वहां के किसान, मजदूर व दुकानदार (मंझले व छोटे) सहज महसूस करते हो। महिलाएं, बच्चे व निर्बल वर्ग के लोग सुरक्षित महसूस करते हो। आम आदमी प्रशासन केनजदीक और सहज है। अपराधियों में प्रशासन का खौफ विद्धमान हो, न्यायालय में मुकदमों का निपटारा शीघ्र होता हो। ये सभी कार्य प्रशासन द्वारा अगर इमानदारी से किये जाते हैं तो जनता में खुशहाली, मानसिक शांति व विश्वास की स्थापना होगी और एक सुरक्षा का भावनाजागृत होगी। अगर हम सुशासन की इन विशेषताओं को संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त करें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सुशासन यानी सुदृढ़ कानून व्यवस्था, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं, कारोबार और रोजगार के अच्छे अवसर, कथनी और करनी में समानता, नागरिक सुरक्षा एवं संरक्षा आदि ही सुशासन है। सुशासन तभी संभव है जब राष्ट्र, सरकार, समाज, संस्था व संविधान के प्रति हम सभी ईमानदार हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. Surendra Munsri, Brij Poul Abraham Soma Choudhuri, "The Intelligent Person's Guide to Good Governance", Sage Publication India Pvt. Ltd., March 2019
2. G-N-Vaspai, "The Essential Book of Corporate Governance", Sage Publication India Pvt. Ltd., Oct. 2016
3. Vinod Ray, "Rethinking Good Governance", Rupa Publication India, Sept. 2019
4. N Bhaskar Rao, "Good Governance and Delivering Corruption : Free Public Service", Sage Publication India Pvt. Ltd., Feb. 2013
5. B C Smith, "Good Governance and Development", Palgrave Mcmillion, Aug. 2007
6. Vayunandan Etakula, "Good Governance : Institutions in India", Rupa Publication India, Jan. 2003.